

विधानसभा प्रश्न क्र. 4617 अतारकित का प्रपत्र														
म.प्र. के निकायों में उपभोक्ता जल प्रभार एवं उपभोक्ता स्वच्छता प्रभार शुल्क लागू किया जाना														
क्र. संभाग का नाम	जिले का नाम	निकाय का नाम	नगरीय निकाय में उपभोक्ता जल प्रभार एवं उपभोक्ता स्वच्छता प्रभार शुल्क लागू किये जाने की स्थिति	नवीन प्रस्तावित उपभोक्ता प्रभार शुल्क किससे वसूल किया जावेगा	प्रस्तावित उपभोक्ता जल प्रभार शुल्क एवं उपभोक्ता स्वच्छता प्रभार शुल्क		वर्तमान में प्रचलित उपभोक्ता जल प्रभार शुल्क एवं उपभोक्ता स्वच्छता प्रभार शुल्क		उपभोक्ता प्रभार शुल्क निर्धारित किये जाने का आधार एवं रोस्टर					
					जलप्रभार शुल्क	स्वच्छता प्रभार शुल्क	जलप्रभार शुल्क प्रति माह	स्वच्छता प्रभार शुल्क प्रतिमाह		जलप्रभार शुल्क प्रति माह प्रति नल कनेक्शन	स्वच्छता प्रभार शुल्क प्रतिमाह प्रत्येक घर			
1	उज्जैन	रतलाम	हाँ	नहीं	नल कनेक्शन धारी से/अन्य से	मकान मालिक/संपत्ति धारक/अन्य से	उपयोगकर्ता मकान मालिक से	2021-22 हेतु रु. 300/- प्रतिमाह	2021-22 हेतु रु. 60/- प्रतिमाह	2020-21 हेतु रु. 150/- प्रतिमाह	2020-21 निरंक	हाँ	हाँ	उपभोक्ता प्रभार शुल्क हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 390 दिनांक 28.09.2020 में प्रकाशित मध्यप्रदेश नगर मालिका (जलप्रदाय, नलजल तथा टीस अपग्रेड प्रकृतियों के लिये उपभोक्ता प्रभार) नियम 2020 में दर्जित उपभोक्ता जल प्रभार शुल्क हेतु नियम 4 एवं उपभोक्ता प्रभार स्वच्छता शुल्क हेतु नियम 5 के अनुसार नियम 3 के तर्जित प्रावधानों अनुसार गणना की जाकर नियम 7(2) अनुसार गठित समिति की स्वीकृति उपरत (ह/नहीं)
2	उज्जैन	रतलाम	हाँ	हाँ	नल कनेक्शन धारी से	मकान मालिक/संपत्ति धारक से	मकान मालिक/संपत्ति धारक से	2021-22 हेतु रु. 300/- प्रतिमाह	2021-22 हेतु रु. 50 रुपये प्रतिमाह	वर्तमान प्रचलित दर	वर्तमान प्रचलित दर	हाँ	हाँ	उपभोक्ता प्रभार शुल्क हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 390 दिनांक 28.09.2020 में प्रकाशित मध्यप्रदेश नगर मालिका (जलप्रदाय, नलजल तथा टीस अपग्रेड प्रकृतियों के लिये उपभोक्ता प्रभार) नियम 2020 में दर्जित उपभोक्ता जल प्रभार शुल्क हेतु नियम 4 एवं उपभोक्ता प्रभार स्वच्छता शुल्क हेतु नियम 5 के अनुसार नियम 3 के तर्जित प्रावधानों अनुसार गणना की जाकर नियम 7(2) अनुसार गठित समिति की स्वीकृति उपरत (ह/नहीं)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन एवं
नगरीय प्रशासन एवं
नगर विभाग मंत्रालय
(म.प्र.)

23/3/2021
23/3/2021
23/3/2021

पत्राचार "ST"

उज्जैन	रतलाम	नगर परिषद अलाोट	हां	नल कनेक्शन धारी से	मकान मालिक/संपत्ति धारक	आधा इंच 80/- अधिमार 25 प्रतिशत		आधा इंच 40/- अधिमार 25 प्रतिशत		आवासीय 30/- व्यवसायीक	हों	हों
						पोन इंच 150/- अधिमार 25 प्रतिशत	एक इंच 200/- अधिमार 25 प्रतिशत	पोन इंच 75/- अधिमार प्रतिशत	एक इंच 100/- अधिमार 25 प्रतिशत			
3	उज्जैन	नगर परिषद ताल	हों	नल कनेक्शन धारी से	मकान मालिक/संपत्ति धारक	90	28	70	10	10	हों	हों
4	उज्जैन	नगर परिषद बडावदा	हों	नल कनेक्शन धारी से	सम्पत्ति धारक से वर्ष	प्रस्तावित शल्क अप्रैल 2021 100 अप्रैल 2022 120 अप्रैल 2023 150 अप्रैल 2024 170	वर्ष प्रस्तावित शल्क अप्रैल 2021 20 अप्रैल 2022 30 अप्रैल 2023 40 अप्रैल 2024 50	100	10	10	हों	हों
5	उज्जैन	नगर परिषद पिपलौदा	-	नल कनेक्शन धारी से	संपत्ति धारक से	-	-	80	10	10	हों	हों
6	उज्जैन	नगर परिषद नामली	हों	नल कनेक्शन धारी से	भवन / मकान प्रत्येक घर	150	25	75	10	10	हों	हों
7	उज्जैन	नगर परिषद सैलाना	-	नल कनेक्शन धारी से	मकान मालिक/संपत्ति धारक	-	-	75	10	10	हों	हों
8	उज्जैन	नगर परिषद धामनौद	हों	नल कनेक्शन धारी से	मकान मालिक से	100	20	50	10	10	हों	हों

(Handwritten signature)

परियोजना अधिकारी
जिला शाहरी विकास अमिकरण
जिला रतलाम म.प्र.

(Handwritten signature)
अनुमानित प्रस्तावित एवं
नगरिय विभागाध्यक्ष
महानगर शाहरी विकास
(म.प्र.) रतलाम

(Handwritten signature)
जिला शाहरी विकास अमिकरण
जिला रतलाम म.प्र.